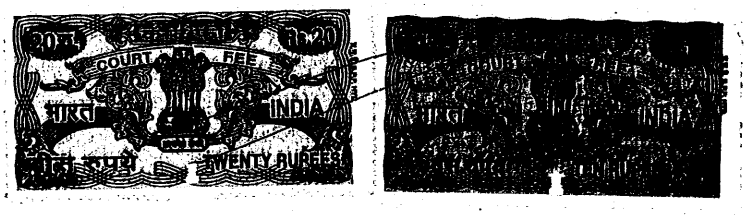

R 481-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-डुगरिया थाना बरगी तह. व जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. श्री दलविंदर सिह माकन उम्र 40 वर्ष पिता श्री एस.एस. माकन (गैर आदिवासी) निवासी-म.नं. 851, बडी ओमती, जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

दिनांक 3-2-17 को श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत

पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **06/अ-21/2016-17** में पारित **आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुर्ननिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-डुगरिया थाना बरगी तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **पडरिया** प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 1, 2 रकवा क्रमशः 0.960, 0.950 हेक्टे. भूमि का कुल रकवा 1.910 है. अनावेदक गैर आदिवासी श्री दलविंदर सिह माकन उम्र 40 वर्ष पिता श्री एस.एस. माकन (गैर आदिवासी) निवासी-म.नं. 851, बडी ओमती, जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सोहड, ग्राम झिरिया,, बरबटी एवं ग्राम भैंसवाही में 4.64 है. भूमि शेष बचेगी। जो कि मेरे एवं मेरे परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रकरण में आवेदक द्वारा

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST. M.P.
Regd. No. 7829
GOVT. OF INDIA

27 JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 481-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक कं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1 रकबा 0.960 एवं खसरा नं. 2 रकबा 0.950 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 5-10-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 27-2-17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया । इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश K 481-5/17	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 4.64 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 63 रा. नि.मं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1 रकबा 0.960 एवं खसरा नं. 2 रकबा 0.950 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 481-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	